लाकत खॉ बनाम जकुब अली

18-11-2024

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 19–05–1989 को बतौर स्मालपेच उमराव खॉ पुत्र कमाल खॉ जाति मुसलमान को किया गया था, जिसे अपीलांट् द्वारा पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील हितबद्व पक्षकार को संयोजित नहीं करने के आधार पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा आगे बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा आराजी जैर रकबा किला नम्बर 19 ता 21 करीम वल्द कादू खॉ से जरिये बैयनामा दिनांक 31–07–2017 को खरीद करना बताया गया है जबकि करीम खॉ को उक्त रकबा नियम विरूद्व डबल आवंटन दिनांक 11–02–2017 को हुआ जिसे धारा 22 (3) के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा दिनांक 06–08–2024 को खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 19–05–1989 के विरूद्व दिनांक 08–02–2021 को पेश की गई है, जोकि करीब 32 वर्ष के उपरान्त पेश की गई है तथा अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को कण्डोन करने के जो कारा अंकित किये गये है वह संतोषजनक कारण नहीं होने से अपीलांट् की अपील को मियाद के बिन्दु के साथ–साथ उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए हितबद्व पक्षकार के अभाव में अपील पेश करने व लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर अपील को खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स/अप्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि उमराव पुत्र कमाल खॉ को आवंटित की गई थी। जिसके द्वारा आराजी जैर का विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने पर अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के क्रेता को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन उमराव पुत्र कमाल खॉ को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है क्योंकि वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकशित भूमि थी, जिसे कपटपूर्वक बतौर स्मालपेच आवंटित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में मिथ्या तथ्यों एवं कपटपूर्वक आवंटित भूमि को निरस्त करवाने का अधिकार अपीलांट् को प्राप्त है। प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि चक 610/200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 66/63 तादादी 25 बीघा सम्पूर्ण भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड रही है ऐसी स्थिति में मात्र 7 बीघा भूमि बतौर स्मालपेच आवंटित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यदि

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी

इस प्रकार का कोई आवंटन किया भी गया है तो उक्त आवंटन शून्य आवंटन की श्रेणी में आता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 03–01–2017 को सीएडी से वादग्रस्त मुरब्बे के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें 5 बीघा 13 बिस्वा कमाण्ड व 11 बीघा 01 बिस्वा अनकमाण्ड व 8 बीघा 06 बिस्वा गैरमुमकिन यानि 25 बीघा भूमि के बाबत् कथन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी नहर, सड़क, नर्सरी आदि में अवाप्त नहीं हुई है। तत्समय पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटन उमराव पुत्र कमालाखॉ को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से मिथ्या रिपोर्ट पेश की गई है व उक्त रिपोर्ट के आधार पर आराजी जैर का आवंटन किया गया है। प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, दिनांक 06–01–2021 को प्रार्थी को न्यायालय हाजा की अन्य पत्रावली जाकूब अली बाम सरकार व करीमखॉ आदि की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ कि आराजी जैर करीमखॉ ने क्रय कर रखी है, उसके उपरान्त आवंटन पत्रावली की नकल आदि प्राप्त करने व संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण अपील के गुणावगुण पर होना शेष है तथा विधि की भी यह मंशा रही है कि जहॉ विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, मियाद के तकनीकी बिन्दु को गौण रखते हुए न्यायालय को प्रकरण के गुणावगुण पर निर्धारण हेतु अग्रसर होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी एक सद्भाविक देरी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाकर अपील को गुणावगुण पर बहस हेतु निर्धारित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 19–05–1989 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति पेश करते हुए अपील को हितबद्व व्यक्ति को पक्षकार स्थापित नहीं किये जाने व अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होने व अपील मियाद बाहर पेश होने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज करने की मांग की गई है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम जहॉ तक वादग्रस्त भूमि का आवंटन उमराव खॉ पुत्र कमाल खॉ को दिनांक 19–05–1989 को किये जाने का प्रश्न है, तथा अपील प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटी को पक्षकार स्थापित नहीं किये जाने के संबंध में आपत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलांट् द्वारा एकतरफ तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–05–1989 के आवंटन को चुनौती देते हुए निरस्त करवाने की मांग की गई है,

वही दूसरी तरफ वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटी को बतौर पक्षकार संयोजित नहीं करते हुए वादग्रस्त भूमि के केता को पक्षकार स्थापित किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि अपील के स्तर पर आवंटन को खारिज अथवा स्वीकार किया जाता है तो वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटी किस प्रकार से व्यथित रहेगा, का प्रश्न विचारणीय हो जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति के स्तर पर अन्य बिन्दु की अपीलांट् को अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है, इस संबंध में हमने अपील व अपील के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को चुनौती तो दी गई है, परन्तु उक्त आवंटन से स्वयं किस प्रकार से हितबद्व रहे है, के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया गया है, नाही वादग्रस्त भूमि पर अपनी हितबद्वता के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अपीलांट द्वारा अपीलाधीन अराजी करीम वल्द कादू खां से क्रय किया जाना अभिलिखित किया गया है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा माननीय जिला कलक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 06–08–2024 के अवलोकन से जाहिर है कि मूल विक्रेता का आवंटन जिला कलक्टर महोदय द्वारा अनियमित आवंटन के कारण खारिज किया जा चुका है, जब मूल विक्रेता का आवंटन ही खारिज किया जा चुका है तो अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई हासिल नहीं होती है। इसी प्रकार अपीलांट् का अन्य कथन कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फर्जी दस्तावेजात तैयार करवाते हुए आवंटन आदेश तैयार किया गया है, इस संबंध में अपीलांट् द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलांट् के आवंटन की वैधता पर प्रश्नचिन्ह् लगाने बाबत् कोई कार्यवाही अपीलांट् द्वारा आज दिनांक तक की गई हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के दोनों आधारों के संबंध में अपीलांट् कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के माध्यम से साबित करने में असफल रहे है। प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–05–1989 के विरूद्व अपील दिनांक 10–02–2021 को पेश की गई है, जोकि करीब 32 वर्ष के उपरान्त पेश की गई है। अपीलांट् द्वारा अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र को कण्डोन करने के संबंध में अभिकथन किया गया है कि "दिनांक 06–01–2021 को प्रार्थी को न्यायालय हाजा की अन्य पत्रावली जाकूब अली बाम सरकार व करीमखॉ आदि की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ कि आराजी जैर करीमखॉ ने क्रय कर रखी है, उसके उपरान्त आवंटन पत्रावली की नकल आदि प्राप्त करने व संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।" इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से हितबद्व पक्षकार नहीं रहे होने से व मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि मूल आवंटी उमराव पुत्र कमाल खॉ से क्रय की गई है, के आवंटन को निरस्त करवाने मात्र की मंशा से अपील पेश

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य विश्वसनीय एवं संतोषनक नहीं होने से अपीलांट् को अपील पेश करने में हुए अत्याधिक विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित नहीं पाते है। इसी संबंध में न्यायालय का यह भी मत है कि यदि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भी रहा हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा तहसीलदार जोकि भूमिधारक होता है, को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए आदेश जैर अपील को चुनौती दी जानी चाहिए थी। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से साबित है कि अपीलांट् के हक व हकुक वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान नहीं होने से अपीलांट् वादग्रस्त भूमि के बाबत् हितबद्व पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपित्त बाबत् मियाद/लोकस स्टेण्डाई स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील मियाद के बिन्दु के साथ–साथ लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर